7/02/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीनी/अनुपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 के वकील की ओर से ब्रिफ होल्डर वकील उप0। मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। मूल वाद के खारिज होने से आवेदन पत्र का कोई औचित्य नही रहता। अतः प्रार्थीनी का आवेदन पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2/2020
सहायक कलक्टर
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2020.02.24 20:09:01 IST
Reason: SelfAttested